हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 मार्च, 2011

संख्या : वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1–7/2011.––हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2011 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम.——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. धारा 12—क का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12—क में,—

(क) उप धारा (1) के खण्ड (क) के उप—खण्ड (iii) में, ''सत्तर'' शब्द के स्थान पर ''बीस'' शब्द रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (iv) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(iv) पचास प्रतिशत सोने को, सोने के बिस्कुटों या सिक्कों में परिवर्तित किया जाएगा और उनका तत्समय विद्यमान चालू बाजार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थ यात्रियों को विक्रय किया जाएगा ।''; और

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (iv) और (v) का लोप किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 को हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के बेहतर प्रशासन के लिए और ऐसी संस्थाओं तथा विन्यासों की सम्पति के संरक्षण तथा परिरक्षण का उपबन्ध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था । पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12—क मन्दिर न्यासों के स्टॉक में निष्कार्य पड़े सोने और चाँदी का पारदर्शी रीति में व्ययन करने और ऐसे सोने और चाँदी के व्ययन के परिणामस्वरूप प्राप्त विक्रय आगमों के बेहतर उपयोग का उपबन्ध करता है । यह पाया गया है कि सत्तर प्रतिशत सोने को मन्दिरों में आरक्षित (रिजर्व) रखने से मन्दिर न्यासों को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है और इसकी सुरक्षा में अनुचित व्यय भी हो रहा है । इसलिए पचास प्रतिशत सोने को, सोने के बिस्कुटों या सिक्कों में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया गया है और उनका विक्रय तत्समय विद्यमान चालू बाजार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थयात्रियों को किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12—क (2) के अधीन सोने और चाँदी का शोधन और व्ययन करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ गठित की जाने वाली समिति में सम्बद्ध जिला परिषद् और पंचायत समिति के अध्यक्ष को सम्मिलित किया जाता है जिनकी मन्दिर न्यासों के क्रियाकलापों में कोई भूमिका नहीं है । अतः उन्हें उक्त समिति से बाहर करना प्रस्तावित है । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्यमन्त्री ।

शिमलाः
तारीखः........................., 2011

————————

वित्तीय ज्ञापन

————शून्य—————

——————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—————शून्य—————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act,1984 (Act No.18 of 1984).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2011.

2. In section 12-A of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, (18 of 1984)—

(a) in sub-section (1), in clause (A), in sub-clause (iii), for the figures “70”, the figures “20” shall be substituted and thereafter, the following new sub-clause (iv) shall be inserted, namely:—

> “(iv) 50% gold shall be converted into gold biscuits or coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current prevailing market price.”; and

(b) in sub-section (2), clauses (iv) and (v) shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 was enacted with a view to provide for the better administration of Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments and for protection and preservation of properties of such institutions and endowments. Section 12-A of the Act ibid provides for the disposal of gold and silver lying idle in the stock of temple trusts in a transparent manner and for the better utilization of the sale proceeds received as result of disposal of such gold and silver. It has been felt that keeping 70 per cent gold reserved in the temples is causing loss of crores of rupees to the Temple Trusts and also it involves undue expenditure for the security of the same. Thus, it has been proposed to convert 50% gold into golt biscuits or coins and should be sold to the devotees and pilgrims on current prevailing market price. Further, the Committee to be constituted under section 12-A (2) of the Act ibid, for the purpose of grant of approval for purification of gold and silver and their disposal includes Chairman of Zila Parishad and Panchayat Samiti concerned who have no role to play in the activities of the Temple Trusts. Thus, it has been proposed to drop them from the said Committee. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla:
The ………, 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil